

माल एवं सेवा कर Goods and Service Tax

देश में 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू किये जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। देश की 15 विधान सभाएं अब तक जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर चुकी है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद संविधान संशोधन लागू हो जायेगा। इसके बाद जीएसटी अधिनियम तथा आई जीएसटी अधिनियम को लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित किया जायेगा तथा सभी विधानसभाओं द्वारा भी इसे पारित किया जायेगा। कानून बनने के बाद सम्बन्धित नियम बनाये जायेंगे।

इतिहास एवं विकास —

भारत में प्राचीन समय से ही किसी न किसी रूप में उत्पादन, विक्रय पर शुल्क आरोपित एवं वसूल किया जाता रहा है। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में मौर्य शासन काल में निर्मित वस्तुओं पर चुकाए जाने वाले कर के प्रमाण उपलब्ध है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा भारत में नमक के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाया गया। उसके पश्चात् उत्पाद शुल्क की परिधि में आने वाली वस्तुओं की संख्या में अंग्रेज सरकार द्वारा निरन्तर वृद्धि की गई। 1917 में मोटर स्पिरिट पर तथा 1922 में केरोसिन के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगाया गया। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध काल में अतिरिक्त वित्त जुटाने के लिए सरकार द्वारा तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क आरोपित किया गया। 1948 में सिगरेट उत्पादन को भी उत्पाद शुल्क की परिधि में लाया गया। विभिन्न उत्पादों पर एक ही नियम से उत्पाद शुल्क आरोपित करने एवं वसूल करने में सरकार को कठिनाई महसूस हो रही थी। उत्पाद शुल्क संग्रहण में सरलता की दृष्टि से सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क वसूल करने के लिए पृथक पृथक अधिनियम पारित किए गए।

भारत में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर विक्रय कर लगाने का अधिकार पहली बार 'भारत सरकार अधिनियम, 1935' द्वारा प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात् अनेक राज्य सरकारों द्वारा विक्रय कर अधिनियम पारित करके राज्य विशेष में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर वसूल किया जाने लगा। सर्वप्रथम विक्रय कर मध्य प्रदेश में 1938 में लागू किया गया। इस प्रकार सभी राज्य सरकारें किसी भी तरीके से विभिन्न वस्तुओं पर कर लगाने के लिए स्वतन्त्र थीं। इन राज्य सरकारों द्वारा इस अधिकार का दुरुपयोग व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के विरुद्ध किया जाने लगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 पारित होने से पूर्व भारत में विभिन्न उत्पादों पर उत्पाद शुल्क आरोपित करने हेतु 16 अधिनियम बनाए जा चुके थे। सरकार द्वारा 1944 में विभिन्न उत्पाद शुल्क कानूनों के स्थान पर एक समेकित अधिनियम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं नमक अधिनियम 1944 पारित किया गया।

भारत सरकार द्वारा 1953 में डॉ. जॉन मथाई की अध्यक्षता में अप्रत्यक्ष कर ढाँचे पर विचार करने और अप्रत्यक्ष करों के दायरों को बढ़ाने के लिए एक कर जाँच समिति की स्थापना की गई। कर जाँच समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई उत्पादों को उत्पाद शुल्क के दायरे में लाया गया।

अतः केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों से विचार विमर्श करने के बाद एवं करारोपण जाँच आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 286 में सितम्बर, 1956 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गये। सरकार द्वारा पुनः 1965 में देश में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर ढाँचे को सरल व युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव देने हेतु वित्त मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव भूतलिंगम की अध्यक्षता में भूतलिंगम समिति गठित की गई।

भारत में सेवा कर की शुरुआत 1 जुलाई, 1994 से हुई। उस समय इसमें संगठित क्षेत्र की तीन सेवाएं शामिल की गई थी। उदाहरण के लिए टेलीफोन, साधारण बीमा और शेयर दलाली 1994 से अब तक प्रतिवर्ष इसमें संशोधन करके और अधिक सेवाओं को इसकी परिधि में लाया गया है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय अ तथा अ.। के द्वारा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागू है। यह कर धारा 65 (105) में बताई गई करायोग्य सेवाओं को प्रदान करने पर लगाया जाता है। धारा 66 के अधीन यह कर की प्रभाति होता है।

भारत में सेवा क्षेत्र की राजस्व योग्यता की पहचान कर चयनित सेवाओं पर सेवाकर लगाने की अनुशंसा डा. राजा जे. चैलेयूया की अध्यक्षता वाली कर सुधार समिति ने की। तत्कालीन केन्द्रीय वित्त मंत्री ने सेवा कर की नयी अवधारणा को जन्म दिया तथा निम्न वक्तव्य दिया — “सेवाओं की कराधान से मुक्ति देने के लिए कोई ठोस कारण नहीं है जबकि वस्तुओं पर कर लगाया जाता है तथा कई देश कर उद्देश्य के लिए सेवाओं तथा वस्तुओं को एक जैसा मानते हैं। इस प्रकार मैं दूरभाष, जीवन बीमा तथा स्टॉक दलाल

की सेवाओं पर कर लगाकर देश की कर प्रणाली में एक नया अध्याय जोड़ने का प्रयत्न करता हूँ।”

इस प्रकार सेवा कर प्रथम बार सन् 1994 में वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय के द्वारा दूर संचार, सामान्य बीमा और शेयर दलाली सेवा पर लगाया गया था।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि देश में करों की संख्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सत्ता द्वारा अलग अलग करारोपण से इतनी अधिक हो गई है कि व्यापार, व्यापारी दिशाहीन है। आवश्यकता महसूस की गई कि सम्पूर्ण देश में एक कर होना चाहिए। अन्य देशों में लगने वाले माल एवं सेवा कर को भारत में लगाने पर विचार किया गया। परन्तु भारतीय संवैधानिक व्यवस्था को देखते हुए एकल कर लगाना आसान नहीं था क्योंकि केन्द्र तथा राज्य सरकार के बीच इस हेतु सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा था।

अतः भारत में दोहरा जी एस टी करारोपित करने का विचार किया गया। वर्तमान जीएसटी मॉडल इसी दोहरा मॉडल पर आधारित है।

परिचय —

माल एवं सेवाकर (जी एस टी) एक अप्रत्यक्ष कर है जो माल के उत्पादक एवं विक्रेता पर एक समान रूप से लगाया जायेगा। यह कर माल एवं सेवा दोनों पर लगेगा। वर्तमान कर प्रणाली में इस प्रकार के तीन कर हैं पहला उत्पाद शुल्क, दूसरा सेवा कर तथा तीसरा राज्य वैट। इन तीनों के स्थान पर यह अकेला कर लगेगा।

स्पष्ट है कि तीन करों के स्थान पर एक कर होने से सरलता बढेगी। वर्तमान में उत्पाद शुल्क, सेवाकर और वैट तीन अलग अलग कानून हैं लेकिन ये तीनों सभी पर लागू नहीं होते हैं। हमारे देश में व्यापारियों की संख्या सर्वाधिक है जिन्हें केवल वैट चुकाना होता है। उनका उत्पाद एवं सेवाकर से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें इन तीनों करों के मिल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत जीएसटी में स्टेट जीएसटी एवं सैन्ट्रल जीएसटी दो तरह के कर वसूल करने होंगे जिसका मतलब है जो व्यापारी अभी एक वैट वसूल कर रहे हैं उन्हें जीएसटी के तहत दो प्रकार के कर वसूल करके जमा कराने होंगे तथा दो दो आगम कर जमा प्राप्त करनी होगी। पूरे विश्व में जहां भी जीएसटी लागू है वहां केवल एक जीएसटी ही लागू होता है। किन्तु भारत में इसे परिवर्तित कर दोहरा जीएसटी लागू किया गया है।

इसमें राज्य एवं केन्द्र दोनों समान रूप से जीएसटी वसूल करेंगे अर्थात् जीएसटी में हमें दो दो विभागों से व्यवहार करना होगा। इसके अतिरिक्त अन्तर्राज्यीय बिक्री करने पर आई जीएसटी वसूल करके जमा कराना होगा।

जीएसटी, बिक्री के प्रत्येक बिन्दु पर लगने वाला कर है तथा वैट की तरह ही खरीद पर चुकाये जीएसटी का इनपुट क्रेडिट क्रेता को प्राप्त हो जायेगा। जीएसटी में तीन इनपुट कर होंगे। सी जीएसटी, एस जीएसटी तथा आई जीएसटी।

जीएसटी से आशय —

जीएसटी एक तरह का मूल्य संबंधित कर ही है जो कि एक बहुस्तरीय कर है जो किसी वस्तु या सेवा के विक्रय के प्रत्येक स्तर पर वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। वर्धित मूल्य से आशय किसी व्यापारी द्वारा माल या सेवा के मूल्य में जोड़े गये मूल्य से है। उदारणार्थ — श्रीगजानन, किसी माल या सेवा को 2000रु. में खरीदकर हेमन्त को 3000रु. में बेचता है तो उसके द्वारा 1000रु. अपनी लागत एवं लाभ के जोड़े गये हैं यही उस मूल्य का वर्धित मूल्य कहलायेगा तथा इसी वर्धित मूल्य पर कर देना होगा। जीएसटी की गणना निम्न प्रकार से समझी जा सकती है, मानाकि केन्द्रीय जीएसटी की दर 15 प्रतिशत तथा राज्य जीएसटी की दर 5 प्रतिशत है—

श्रीगजानन द्वारा जो माल या सेवा खरीदी जायेगी उसपर जीएसटी आगम कर जमा बिल में निम्न प्रकार होगी —

विवरण	राशि रु.
क्रय मूल्य	2,000
जोड़ें : केन्द्रीय जीएसटी 15 प्रतिशत	300
जोड़ें : राज्य जीएसटी 5 प्रतिशत	100
कुल चुकाई गई राशि	2,400

श्रीगजानन द्वारा जो माल या सेवा बेची जायेगी उस पर जीएसटी निर्गम कर बिल में निम्न प्रकार होगी —

विवरण	राशि रु.
विक्रय मूल्य	3,000
जोड़ें : केन्द्रीय जीएसटी 15 प्रतिशत	450
जोड़ें : राज्य जीएसटी 5 प्रतिशत	150
कुल चुकाई गई राशि	3,600

श्रीगजानन द्वारा देय जीएसटी की गणना निम्न प्रकार होगी —

विवरण	केन्द्रीय जीएसटी	राज्य जीएसटी
विक्रय मूल्य पर देय जीएसटी	450	150
घटायें : क्रय मूल्य पर चुकाई गई जीएसटी	300	100
कुल देय कर	150	50

जीएसटी की विशेषताएँ —

1. जीएसटी की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं —
यह बिक्री के स्थान के आधार पर लगने वाला कर है।
2. यह बिक्री के प्रत्येक स्तर पर लगाया जायेगा।
3. सभी कर योग्य माल एवं सेवाएँ जो किसी प्रतिफल के लिए होती हैं पर यह लागू होगा।
निम्न पर जीएसटी लागू नहीं होगा —
— कर मुक्त माल एवं सेवाएँ — सी जीएसटी एवं एस जीएसटी के लिए एक समान सूची जारी होगी।
— माल एवं सेवाएँ जो जीएसटी की परिधि से बाहर होगी।
— एक निर्धारित सीमा से कम होने वाले लेनदेन।
4. दोहरा जीएसटी देश में लागू किया जा रहा है —
— सैन्ट्रल जीएसटी जो केन्द्र सरकार द्वारा वसूला जायेगा।
— राज्य जीएसटी जो राज्यों द्वारा वसूला जायेगा।
5. राज्य के भीतर होने वाली बिक्री या राज्य में प्रदान की जाने वाली सेवा पर सी जीएसटी तथा एस जीएसटी दोनों वसूल किये जायेंगे।
6. अन्तर्राज्यीय बिक्री के मामले में आई जीएसटी वसूल किया जायेगा जो कि केन्द्र सरकार द्वारा वसूल किया जायेगा।
7. आई जीएसटी राज्य के बाहर से माल आयात करने पर लगेगा तथा माल या सेवाओं के अन्तर्राज्यीय स्टॉक हस्तान्तरण पर भी वसूल किया जायेगा।
8. देश के बाहर होने वाले निर्यात शून्य दर से कर योग्य होंगे। ऐसा होने से उन्हें माल की खरीद पर इनपुट कर जमा का पुर्नभुगतान प्रतिदाय प्राप्त करने का अधिकार होगा।
9. पूर्व में जो राज्य माल का निर्माता था उसे 1 प्रतिशत अतिरिक्त जीएसटी वसूल करने का अधिकार था परन्तु अब इसे वसूल नहीं करने का निर्णय लिया गया है।
10. निम्न को छोड़कर सभी माल एवं सेवाएँ जीएसटी के दायरे में आने की सम्भावना है —
— शराब — इस पर राजकीय उत्पाद शुल्क तथा वैट देय होगा।
— बिजली — इस पर बिजली शुल्क देय होगा।
— रीयल एस्टेट — इस पर प्रोपर्टी कर एवं स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
— पेट्रोलियम उत्पाद
— तम्बाकू उत्पाद सैन्ट्रल उत्पाद शुल्क विभाग के अधीन होंगे।
11. निम्नलिखित कर जीएसटी में शामिल किये जायेंगे —
— केन्द्रीय कर —
— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
— अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

- उत्पाद शुल्क जो मेडिसिन एवं टायलेटरीज प्रप्रेरेशन कानून के तहत वसूल की जाती है।
 - अतिरिक्त सीमा शुल्क
 - सेवा कर
 - सरचार्ज एवं सैस राज्य कर
 - स्टेट वैट/विक्रय कर
 - केन्द्रीय विक्रय कर
 - क्रय कर
 - मनोरंजन कर
 - विलासिता कर
 - एन्ट्री कर
 - लॉटरी, शर्त एवं जुए पर लगने वाला कर
 - सरचार्ज एवं सैस
12. जीएसटी की चार दरें निर्धारित की जायेगी —
— आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की मेरीट दर
— सामान्य वस्तुओं एवं सेवाओं की प्रमापित दर
— कीमती धातुओं की विशेषदर
— शून्य दर
 13. न्यूनतम कर योग्य राशि सी जीएसटी तथा एस जीएसटी दोनों पर लागू होगी। इसे 20 लाख रु. रखा गया है। यानि 20 लाख रु. तक की बिक्री करने वाले व्यवहारी जीएसटी के दायरे में नहीं आयेंगे।
 14. कम्पोजिशन स्कीम उन व्यवहारियों के लिए होगी जिनकी एक सीमा तक कर योग्य विक्रय है। इसे 50 लाख रु. रखे जाने का विचार है। यानि ऐसे व्यवहारी एक मुश्त कर जमा करा सकेंगे।
 15. वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए एच एस एन (Harmonized System of Nomenclature) कोड इस्तेमाल किया जायेगा।
 16. सेवाओं के लिए वर्तमान कोडिंग सिस्टम को उपयोग में लिया जायेगा।

जीएसटी में इनपुट कर जमा —

जीएसटी में तीन प्रकार के कर लगाये जाने हैं। अन्तर्राज्यीय बिक्री पर आई जीएसटी देय होगा। राज्य के भीतर माल बेचने पर एस जीएसटी एवं सी जीएसटी दोनों कर देय होंगे। तीनों ही कर की राशि के अलग अलग खाते रखने होंगे तथा उन्हें निम्न प्रकार समायोजित किया जायेगा।

आई जीएसटी की जमा —

यदि कोई व्यापारी अन्तर्राज्यीय खरीद करता है जो उस पर आई जीएसटी का भुगतान किया गया हो तो उसका इनपुट कर जमा सबसे पहले देय आई जीएसटी के निर्गम कर से प्राप्त होगा। इसके बाद सी जीएसटी के आउटपुट कर से तथा शेष बचे इनपुट को एस जीएसटी के आउटपुट कर से समायोजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये जय एण्ड कम्पनी ने 2,00,000 रु. का माल दिल्ली से खरीदा जिस पर उसने 18 प्रतिशत की दर से 36,000 रु. आई जीएसटी का भुगतान किया। उसका माह के दौरान आई जीएसटी का

आउटपुट कर 15,000रु. बनता है, सी जीएसटी का 19,000रु. तथा एस जीएसटी का 16,000रु. बनता है तो व्यापारी उपरोक्त आउटपुट कर में से इनपुट कर की जमा निम्न प्रकार प्राप्त करेगा—

कुल इनपुट कर	36,000रु.
सर्वप्रथम आई जीएसटी से समायोजन	15,000रु.
शेष इनपुट कर	21,000रु.
उपरोक्त का समायोजन अब सी जीएसटी से	19,000रु.
शेष इनपुट कर जिसका समायोजन एस जीएसटी से किया जा सकेगा	2,000रु.
इस प्रकार समस्त समायोजन के पश्चात व्यापारी को एस जीएसटी 14,000रु. (16,000— 2,000) जमा कराना होगा।	

सी जीएसटी की जमा —

यदि व्यापारी राज्य के भीतर माल की खरीद करता है तो उस पर उसने सी जीएसटी एवं एस जीएसटी दोनों कर चुकाये है। इस सी जीएसटी का इनपुट कर जमा सर्वप्रथम व्यापारी को सी जीएसटी के आउटपुट कर से प्राप्त होगा तथा शेष आई जीएसटी के आउटपुट से प्राप्त होगी। सी जीएसटी के इनपुट जमा का लाभ एस जीएसटी के आउटपुट कर में से प्राप्त नहीं होगा।

एस जीएसटी की जमा —

राज्य के भीतर माल खरीदने पर जो एस जीएसटी का भुगतान किया गया है उसका इनपुट कर जमा सर्वप्रथम एस जीएसटी के आउटपुट कर से प्राप्त होगा तथा शेष आई जीएसटी के आउटपुट कर से समायोजित किया जा सकता है। एस जीएसटी के इनपुट जमा का लाभ सी जीएसटी के आउटपुट कर से तथा सी जीएसटी के इनपुट का लाभ एस जीएसटी के आउटपुट कर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

उदाहरण 1 : मानाकि राजस्थान के एक निर्माता ने 8,00,000रु. का कच्चा माल जयपुर के एक व्यापारी से खरीदा जिसने सीजीएसटी 12 प्रतिशत तथा राज्यजीएसटी 6 प्रतिशत लगाकर कच्चे माल का विक्रय किया। निर्माता ने इस कच्चे माल से वस्तु क की 16,000 इकाइयाँ निर्मित की तथा 1,60,000रु. का अतिरिक्त व्यय किया। उसने लाभ सहित सभी इकाइयों को 15,00,000रु. में एक पंजीकृत व्यापारी को बेच दी तथा इस पर सीजीएसटी 12 प्रतिशत तथा राज्यजीएसटी 6 प्रतिशत वसूल की। देय कर की गणना निम्न प्रकार की जायेगी —

निर्माता द्वारा जो माल की खरीद पर जीएसटी आगम कर जमा बिल में निम्न प्रकार होगी —

विवरण	राशि रु.
क्रय मूल्य	8,00,000
जोड़ें : केन्द्रीय जीएसटी 12 प्रतिशत	96,000
जोड़ें : राज्य जीएसटी 6 प्रतिशत	48,000
कुल चुकाई गई राशि	9,44,000

निर्माता द्वारा जो माल के विक्रय पर जीएसटी निर्गम कर बिल में निम्न प्रकार होगी —

विवरण	राशि रु.
विक्रय मूल्य	15,00,000
जोड़ें : केन्द्रीय जीएसटी 12 प्रतिशत	1,80,000
जोड़ें : राज्य जीएसटी 6 प्रतिशत	90,000
कुल चुकाई गई राशि	17,70,000

निर्माता द्वारा देय जीएसटी की गणना निम्न प्रकार होगी —

विवरण	केन्द्रीय जीएसटी	राज्य जीएसटी
विक्रय मूल्य पर देय जीएसटी	1,80,000	90,000
घटायें : क्रय मूल्य पर चुकाई गई जीएसटी	96,000	48,000
कुल देय कर	84,000	42,000

उदाहरण 2 : मानाकि राजस्थान के एक व्यापारी ने 18,00,000रु. का माल जयपुर के एक व्यापारी से खरीदा जिसपर सीजीएसटी 12 प्रतिशत तथा राज्यजीएसटी 6 प्रतिशत लगाया गया है। व्यापारी ने इस माल का 3/4 भाग 20,00,000रु. में एक पंजीकृत व्यापारी को राजस्थान में बेच दिया इस पर सीजीएसटी 12 प्रतिशत तथा राज्यजीएसटी 6 प्रतिशत वसूल की। शेष माल 6,00,000रु. में गुजरात के एक व्यापारी को बेच दिया इस पर आईजीएसटी 16 प्रतिशत वसूल की। तथा देय कर की गणना निम्न प्रकार की जायेगी —

व्यापारी द्वारा जो माल की खरीद पर जीएसटी आगम कर जमा बिल में निम्न प्रकार होगी —

विवरण	राशि रु.
विक्रय मूल्य	18,00,000
जोड़ें : केन्द्रीय जीएसटी 12 प्रतिशत	2,16,000
जोड़ें : राज्य जीएसटी 6 प्रतिशत	1,08,000
कुल चुकाई गई राशि	21,24,000

व्यापारी द्वारा जो माल के विक्रय पर जीएसटी निर्गम कर बिल में निम्न प्रकार होगी –

विवरण	राज्य के भीतर बिक्री रु. में	अन्तर्राज्यीय बिक्री रु. में
विक्रय मूल्य	20,00,000	6,00,000
जोड़ें : केन्द्रीय जीएसटी 12 प्रतिशत	2,40,000	
जोड़ें : राज्य जीएसटी 6 प्रतिशत	1,20,000	
जोड़ें : आई जीएसटी 16 प्रतिशत		96,000
कुल चुकाई गई राशि	23,60,000	6,96,000

व्यापारी द्वारा देय जीएसटी की गणना निम्न प्रकार होगी –

विवरण	केन्द्रीय जीएसटी	राज्य के भीतर बिक्री रु. में	अन्तर्राज्यीय बिक्री रु. में
विक्रय मूल्य पर देय जीएसटी	2,40,000	1,20,000	96,000
घटाये : क्रय मूल्य पर चुकाई गई जीएसटी	2,16,000	1,08,000	—
कुल देय कर	24,000	12,000	96,000

माल एवं सेवाकर में जॉब वर्क –

कई उत्पादन इकाइयां उत्पादन से सम्बन्धित कई कार्य दूसरे उत्पादकों से करवाते हैं जिसे जॉब वर्क कहा जाता है। इन्जिनियरिंग इकाइयां मशीनिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, पेन्टिंग आदि कार्य जॉब वर्क के आधार पर करवाते हैं जबकि टैक्सटाइल इकाइयां ब्लिचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग आदि कार्य जॉब वर्क के आधार पर करवाते हैं। इसके अतिरिक्त कैमिकल इकाइयां आदि भी कई

कार्य अपनी फैक्ट्री के बाहर जॉब वर्क के आधार पर करवाते हैं। इन इकाइयों द्वारा वर्तमान में जब माल जॉब वर्क के लिए भेजा जाता है तो उत्पाद शुल्क एवं वैट के कानून इन पर लागू होते हैं। ऐसे मामलों में विभाग यह देखते हैं कि जॉब वर्क की आड़ में माल की बिक्री तो नहीं की जा रही है।

वर्तमान में वैट कानून में माल को जॉब वर्क के लिए यदि स्टॉक हस्तान्तरण किया जाता है तो राज्य के भीतर माल भेजने पर कोई अलग प्रावधान नहीं है। ऐसे मामले में चालान पर माल भेजा जा सकता है तथा जॉब वर्क के बाद वापस प्राप्त किया जा सकता है। यदि जॉब वर्क के लिए माल राज्य के बाहर भेजा जाता है तब माल के साथ रोड परमिट लगाये जाने का प्रावधान है तथा साथ ही फार्म 'एफ' भी उक्त लेनदेन के लिए माल भेजने वाले एवं माल प्राप्त करने वाले के बीच में आदान प्रदान करना होता है। 'एफ' फार्म के अभाव में लेनदेन को बिक्री मानने का प्रावधान है।

इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी उत्पाद शुल्क के तहत पंजीकृत है तो उसे जॉब वर्क के लिए माल भेजते समय कुछ नियमों की पालना करनी होती है लेकिन जॉब वर्क पर उत्पाद शुल्क देय नहीं होती है। इस प्रकार वर्तमान कानून में जॉब वर्क का कार्य करवाने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जीएसटी कानून में जॉब वर्क के लिए धारा 43ए में प्रावधान किया गया है। धारा 43ए इस प्रकार है –

43A. Special procedure for removal of goods for certain purposes

- (1) The commissioner may, by special order and subject to conditions as may be specified by him, permit a registered taxable person (hereinafter referred to in this section as the "principal") to send taxable goods, without payment of tax, to a job worker for job work and from there subsequently sent to another job worker and likewise, and may after completion of job work, allow to -
 - (a) Brink back such goods to any of his place of business, without payment of tax, for supply therefrom on payment of tax within India, or with or without payment of tax for export as the case may be, or
 - (b) Supply such goods from the place of business of a job worker on payment of tax within India, or with or without payment of tax for export as the case may be.

(2) The responsibility for accountability of the goods including payment of tax there on shall lie with the "principal".

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जीएसटी लागू होने के पश्चात कमिशनर इस सम्बन्ध में विशेष आदेश जारी करेंगे। इस आदेश में रजिस्टर्ड व्यवहारी को जॉब वर्क के लिए माल भेजने पर पालन किये जाने वाले नियमों को तय किया जायेगा। यह माल बिना कोई कर चुकाये भेजने का प्रावधान इस धारा में किया गया है। एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को भी माल बिना जीएसटी चुकाये भेज सकेगा तथा उत्पादक जॉब वर्कर की साईट से सीधे माल की बिक्री भी कर सकेगा।

प्रशासनिक ढांचा –

सी जीएसटी एवं एस जीएसटी का प्रशासनिक ढांचा अलग अलग होगा। सी जीएसटी एवं आई जीएसटी से सम्बन्धित कार्य वर्तमान में कार्यरत उत्पाद एवं सेवा कर विभाग देखेगा जिसका नाम बदल कर केन्द्रीय गुड्स एवं सर्विस टैक्स विभाग कर दिया जायेगा। यह केन्द्र सरकार के अधीन होगा तथा यह विभाग सभी व्यवहारियों के सी जीएसटी एवं आई जीएसटी से संबंधित कार्यों को देखेगा उनका निर्धारण करेगा तथा टैक्स की वसूली या रिफण्ड जारी करेगा।

एस जीएसटी से संबंधित कार्य प्रत्येक राज्य में स्थित वाणिज्यिक कर विभाग करेगा जिसका नाम राजस्थान के लिए राजस्थान गुड्स एवं सर्विस टैक्स विभाग होगा। यह राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर लगने वाले एस जीएसटी से सम्बन्धित कार्यों को देखेगा, उनका निर्धारण करेगा तथा टैक्स की वसूली या रिफण्ड जारी करेगा।

इस प्रकार प्रत्येक व्यवहारी यदि वह व्यापारी भी है जो केन्द्र एवं राज्य दोनों विभागों को रिपोर्ट करेगा तथा दोनों ही विभाग के अधिकारी उस पर कार्यक्षेत्र रखेंगे। सर्वे, तलाशी, जब्ती आदि के समस्त अधिकार दोनों विभागों के पास रहेंगे तथा व्यवहारी को दोनों विभागों से निपटना होगा।

पंजीकरण –

जीएसटी की वसूली केन्द्र एवं राज्य दोनों सरकारों द्वारा की जायेगी लेकिन व्यवहारी को केवल एक ही ऑन लाइन पंजीकरण लेना होगा तथा एक ही रिटर्न भरनी होगी। जीएसटी का कम्प्यूटर सिस्टम केन्द्र एवं राज्य से सम्बन्धित जानकारी उन के बीच में बांट देगा। कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में वैट के तहत अपने राज्य में पंजीकृत है उसे स्वतः ही जीएसटी पंजीकरण नम्बर जारी कर दिया जायेगा लेकिन पंजीकरण जारी करने से पहले उससे कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी जायेगी तथा वह जानकारी प्रस्तुत करने के पश्चात ही उसे जीएसटी पंजीकरण नम्बर जारी किया जायेगा।

जीएसटी पंजीकरण पैन कार्ड नम्बर पर आधारित होगा। जीएसटी पंजीकरण नम्बर 15 अंकों का होगा। पंजीकरण नम्बर इस प्रकार होगा –

State Code	PAN					Entity Code	Blank Digit	Check
1	3	5	7	9	11	12	14	15
2	4	6	8	10		13		

पंजीकरण का कार्य राज्य सरकार के हाथ होगा तथा राज्य जीएसटी विभाग व्यवहारी का पंजीकरण करेगा।

वर्तमान पंजीकृत व्यवहारियों की स्थिति –

जो व्यवहारी वर्तमान वैट या उत्पाद या सर्विस कर कानून में पंजीकृत है उनकी समस्त जानकारी जीएसटी कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध हो जायेगी तथा उनका जीएसटीआईएन (GSTIN) जनरेट हो जायेगा। अभी कुछ करदाता राज्य या केन्द्रीय कर के तहत पंजीकृत है या कुछ करदाता दोनों में ही पंजीकृत है। जीएसटी कानून में व्यवहारी को राज्य जीएसटी के तहत ही पंजीकृत किया जायेगा। एक राज्य में एक व्यवहारी चाहे तो एक रजिस्ट्रेशन कराये या अपने अलग अलग व्यवसायों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराये इस बात की उसे छूट मिलेगी। पंजीकरण डेटा का राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) एवं जीएसटीएन (GSTN) दोनों उपयोग करेंगे।

जिन व्यवहारियों का डेटा पूरा उपलब्ध नहीं होगा उन्हें अखबार में विज्ञापन देकर सूचित किया जायेगा तथा निश्चित अवधि में उन्हें अपना डेटा विभाग की वेबसाइट पर पूरा करना होगा। इसके बाद पूरा डेटा राज्यों को भेजा जायेगा जो उस डेटा का जांच करेंगे। यदि कोई व्यवहारी निर्धारित अवधि में डेटा अपडेशन नहीं करेगा तो उसका पंजीकरण स्थगित कर दिया जायेगा तथा जब तक वह अपना डेटा सही नहीं करता है ऐसा स्थगन जारी रहेगा।

नये व्यवहारियों का पंजीकरण –

ऐसे व्यवहारी जो जीएसटी में पहली बार नया पंजीकरण कराना चाहते हैं उन्हें जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करवाना होगा। यदि कोई व्यक्ति एक ही राज्य में एक से ज्यादा पंजीकरण कराना चाहता है या अलग अलग राज्यों में पंजीकरण कराना चाहता है जो वह ऐसा कर सकता है।

आवेदन के साथ लगने वाले दस्तावेज –

प्रत्येक व्यवहारी को ऑन लाईन आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज की स्कैन प्रतिलिपि लगानी होगी –

- (1) साझेदारी फर्म के मामले में साझेदारी संलेख, सोसायटी ट्रस्ट के मामले में पंजीकरण प्रमाण पत्र, कम्पनी के मामले में एमसीए 21 से ऑन लाईन जांच की जायेगी, कोई दस्तावेज लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।

- (2) कार्य के मुख्य स्थान के सबूत के रूप में यदि स्वयं का स्थान है जो मालिकाना हक से सम्बन्धित कागज या किराये के मामले में किरायानामा यदि बिना किराये जगह मिली है जो उससे सम्बन्धित सबूत।
- (3) बैंक स्टेटमेंट की प्रति।
- (4) अधिकृत प्रतिनिधि के सम्बन्ध में अधिकार पत्र।
- (5) एकल व्यापारी, साझेदार, कर्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग ट्रस्टी की फोटो।

जीएसटी पोर्टल इन तमाम सूचनाओं को केन्द्र/राज्य अधिकारीणी को भेजेगा जो सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी को इन्हें देंगे जो तीन दिन में दी गई सूचना की जांच करके पुनः जीएसटी पोर्टल को रिपोर्ट करेंगे। यदि प्रस्तुत की गई जानकारी सही पाई जायेगी तो पोर्टल पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर देगा। यदि प्रस्तुत की गई सूचना में कोई कमी पाई जाती है तो इसकी जानकारी आवेदक को या तो अधिकारी सीधे ही देंगे या फिर कॉमन पोर्टल के जरिये उसे इसकी जानकारी दी जायेगी। यदि केन्द्र का अधिकारी कोई कमी निकालता है तो इसकी जानकारी राज्य विभाग को भी दी जायेगी तथा यदि राज्य का अधिकारी कोई कमी निकालता है तो इसकी जानकारी केन्द्र जीएसटी को भी दी जायेगी। इस प्रावधान से स्पष्ट है कि राज्य एवं केन्द्र दोनों जीएसटी विभाग पंजीकरण के आवेदन की जांच करेंगे।

कर विवरणियाँ –

जीएसटी लागू होने के बाद व्यापारियों को मासिक रिटर्न भरना पड़ सकता है। अभी वैट एवं उत्पाद शुल्क में छोटे व्यापारियों को तिमाही रिटर्न भरनी होती है तथा सर्विस कर में छमाही रिटर्न भरे जाने का प्रावधान है। प्रत्येक व्यवहारी को निम्न तीन रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी –

(1) बिक्री का विवरण (धारा 25) –

माह के दौरान माल की बिक्री या प्रदान की गई सेवा की जानकारी इस रिटर्न में प्रस्तुत करनी होगी। यह जानकारी माह की समाप्ति से 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। इस रिटर्न में शून्य दर पर की गई बिक्री, अन्तर्राज्यीय बिक्री, क्रय वापसी, देश के बाहर निर्यात, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आदि सभी को शामिल करना होगा। इस जानकारी को क्रेता द्वारा धारा 26 में पेश की गई रिटर्न से मैच किया जायेगा तथा यदि कोई मिस मैच आता है तो उसे ठीक करने का मौका व्यवहारी को दिया जायेगा।

(2) खरीद का विवरण (धारा 26) –

माह के दौरान खरीदे गये माल एवं प्राप्त की गई सेवाओं की जानकारी माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर देनी होगी। इसमें अन्तर्राज्यीय खरीद की जानकारी भी देनी होगी। ऐसी संस्थाएँ जिन पर रिवर्स चार्ज के तहत सेवा प्राप्तकर्ता को सेवाकर जमा कराना है उन सेवाओं की जानकारी अलग से देनी होगी। आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट प्राप्त हुए हैं उनकी जानकारी भी देनी होगी।

इस जानकारी को विक्रेता व्यवहारी द्वारा धारा 25 में प्रस्तुत बिक्री के विवरण से मिलान किया जायेगा तथा यदि कोई अन्तर आता है तो उसे ठीक करने का मौका व्यवहारी को दिया जायेगा।

(3) मासिक विवरणी (धारा 27) –

बिक्री एवं खरीद का विवरण क्रमशः 10 एवं 15 तारीख को प्रस्तुत करने के पश्चात व्यवहारी को 20 तारीख तक अपनी मासिक विवरणी ऑन लाईन प्रस्तुत करनी होगी। मासिक विवरणी में खरीद एवं बिक्री की जानकारी के अतिरिक्त इनपुट कर जमा, चुकाये गये कर की जानकारी एवं अन्य जानकारियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

कम्पोजीशन स्कीम के तहत आने वाले व्यवहारी बिक्री विवरण, खरीद विवरण एवं विवरण को तिमाही आधार पर प्रस्तुत करेंगे।

विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व देय कर जमा कराना आवश्यक है अन्यथा प्रस्तुत की गई विवरणी को अयोग्य करार दे दिया जायेगा। यदि किसी माह में कोई खरीद बिक्री नहीं है तब भी शून्य की विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। कर कटौती करने वाले व्यवहारियों को भी मासिक विवरणी भरनी होगी।

विवरणी समय पर न भरने पर लेट फीस –

यदि कोई व्यवहारी अपनी विवरणी समय पर प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उस पर लेट फीस लगाये जाने का प्रावधान धारा 33 में किया गया है। धारा 25, 26 में बताये गये बिक्री एवं खरीद विवरण को समय पर प्रस्तुत न करने पर 100 रु. प्रतिदिन अधिकतम 5000रु. की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

धारा 30 में प्रस्तुत की जाने वाले वार्षिक विवरणी को देरी से प्रस्तुत करने में देरी होने पर 100रु. प्रतिदिन की शास्ति लगाई जा सकती है जो कि विक्रय राशि के 0.25 प्रतिशत तक अधिकतम हो सकती है।

जीएसटी मॉडल में अनुत्तरीत प्रश्न –

1. वर्तमान में उत्पाद शुल्क के तहत 1.50 करोड़ रु. तक की बिक्री पर छूट उपलब्ध है तथा वैट के अन्तर्गत 10 लाख रु. तक छूट उपलब्ध है। जीएसटी में यह छूट कितनी बिक्री तक होगी इसके बारे में अभी कुछ ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसी प्रकार सर्विस टैक्स के तहत वर्तमान में 10 लाख रु. तक की छूट उपलब्ध है। जीएसटी कानून में छोटी इकाई एवं छोटे स्तर के व्यापारियों किसे माना जायेगा तथा उसे कर से क्या छूट प्राप्त होगी इसकी कोई जानकारी किसी को भी नहीं है।
2. क्या प्रत्येक व्यवहारी को केन्द्रीय माल एवं सेवाकर विभाग एवं राज्य माल एवं सेवाकर विभाग के सम्पर्क में रहना होगा? एसजीएसटी के इनपुट क्रेडिट एवं रिफण्ड के लिए राज्य के विभाग से सम्पर्क करना होगा तथा सीजीएसटी के इनपुट क्रेडिट एवं रिफण्ड के लिए केन्द्र के विभाग से सम्पर्क करना होगा या राज्य के

विभाग के साथ ही उसे सम्पर्क में रहना होगा। किस विभाग का क्या कार्य होगा इस पर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है।

3. क्या किसी व्यवहारी के यहां केन्द्रीय माल एवं सेवाकर विभाग एवं राज्य माल एवं सेवाकर विभाग दोनों अलग अलग तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाही कर सकते हैं या दोनों में से कोई एक विभाग ही कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगा। केन्द्र एवं राज्य के विभागों के टर्नओवर के आधार पर कार्यक्षेत्र बंटेगा या दोनों ही विभाग एक व्यापारी पर अपना कार्य क्षेत्र रखेंगे। यह वर्तमान मॉडल में उचित मार्गदर्शित नहीं है।

अभ्यास प्रश्न

लघूत्तरात्मक प्रश्न (Short Type Questions)

1. माल एवं सेवाकर भारत में कब से लागू होगा। इसे देश में लागू करने की प्रक्रिया क्या रहेगी?
2. माल एवं सेवाकर का संक्षिप्त में परिचय दीजिये।
3. माल एवं सेवाकर अधिनियम में मूल्य वर्धन पर किस प्रकार कर लगेगा? उदाहरण से समझाइये।
4. जीएसटी की कोई चार विशेषताये लिखिये।
5. जीएसटी में किन किन वर्तमान करों को शामिल किया जायेगा?
6. जीएसटीआईएन क्या है? समझाइए।
7. पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ लगने वाले किन्हीं चार दस्तावेजों के नाम बताइए।

निबन्धात्मक प्रश्न (Essay Type Questions)

1. माल एवं सेवाकर का संक्षिप्त में परिचय दीजिये। इसकी विशेषताओं को भी समझाइये।
2. माल एवं सेवाकर के अधीन पंजीकरण प्रक्रिया को समझाइये।
3. दोहरा जीएसटी क्या है? यह किस प्रकार भारत में लागू किया जायेगा? विस्तृत रूप से समझाइये।
4. जीएसटी के अधीन व्यापारी को कौन कौन सी विवरणीयाँ जमा करवानी होगी? समझाइये।

व्यावहारिक प्रश्न (Practical questions)

1. यदि राजस्थान के एक निर्माता ने 15,00,000रु. का कच्चा माल जयपुर के एक व्यापारी से खरीदा जिसने सीजीएसटी 12 प्रतिशत तथा राज्य जीएसटी 6 प्रतिशत लगाकर कच्चे माल का विक्रय किया। निर्माता ने इस कच्चे माल से वस्तु क की 56,000 इकाइयाँ निर्मित की तथा 8,60,000रु. का अतिरिक्त व्यय किया। उसने लाभ सहित सभी इकाइयों को 25,00,000रु. में एक पंजीकृत व्यापारी को बेच दी तथा इस पर सीजीएसटी 12 प्रतिशत तथा राज्यजीएसटी 6 प्रतिशत वसूल की। देय

कर की गणना कीजिये।

2. राजस्थान के एक व्यापारी ने 6,00,000रु. का माल जयपुर के एक व्यापारी से खरीदा जिसपर सीजीएसटी 12 प्रतिशत तथा राज्यजीएसटी 6 प्रतिशत लगाया गया है। व्यापारी ने इस माल का $3/4$ भाग 8,00,000रु. में एक पंजीकृत व्यापारी को राजस्थान में बेच दिया इस पर सीजीएसटी 12 प्रतिशत तथा राज्यजीएसटी 6 प्रतिशत वसूल की। शेष माल 1,00,000रु. में मध्यप्रदेश के एक व्यापारी को बेच दिया इस पर आईजीएसटी 14 प्रतिशत वसूल की। देय कर की गणना कीजिये।